बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0सं0 :– 2/अ0प्र0–1–103/2022(खण्ड–I) 16 /पटना, दिनांक :– 27.01.23

श्री नित्यानंद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोहनिया सम्प्रति निलंबित द्वारा कार्य प्रमंडल, मोहनिया अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के अधीन पथों के निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई है, जैसा की संलग्न आरोप पत्र में अर्न्तविष्ट है। इसलिए विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उक्त कनीय अभियंता के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री विनय कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री नित्यानंद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोहनिया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय– मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

24/1/23

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–103/2022(खण्ड–I) 259 आ0 /पटना, दिनांक :– 27.01.23

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

24/1/23

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–103/2022(खण्ड–I) 259 आ0 /पटना, दिनांक :– 27.01.23

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री विनय कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री नित्यानंद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोहनिया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय– मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

24/1/23

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–103/2022(खण्ड–I) 259 /पटना, दिनांक :– 27.01.23

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोहनिया/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 27/1/23

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–103/2022(खण्ड–I) 259 /पटना, दिनांक :– 27.01.23

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 27/1/23